राजस्थान सरकार

न्यायालयं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भीम, जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारीः— श्री विकास शर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या — 01/2025 प्रा0पत्र

अनवान

जसवन्तसिंह पुत्र मोटसिंह जाति रावत आयु वयस्क निवासी नन्दावट तहसील भीम जिला राजसमन्द

प्रार्थी/—

:: विरुद्व ::

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीम, तहसील भीम, जिला राजसमन्द
2. राजस्थान राज्य जरिये श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, राजसमन्द

अप्रार्थीगण/—

उपस्थिति :—

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री भगवत सिंह
2. अप्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट एवं आदेश 39 नियम 1—2 व सपठित धारा 151 जा. दी.

दिनांकः— 6/10/2025

प्रार्थी का उक्त धारा से संबंधित प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत हुआ। प्रकरण प्रार्थना पत्र में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा नन्दावट, पटवार हल्का टोगी, तहसील भीम की सीमा में स्थित उक्त कृषि भूमि के आराजी संख्या 1827 रकबा 01.00 एक बीघा है। उक्त वर्णित आराजी के पुराने आराजी नम्बर 1808 मीन थे, जो पुराने मूल नम्बर थे। सवंत 2023 भू सेटलमेन्ट के समय खसरा नम्बर 1808 मीन रकबा 18.15 बीघा भूमि/खसरा नम्बर 1808 मीन रकबा 17 बीघा 5 बिस्वा के नये नम्बर 1827 (वर्तमान आराजी नम्बर 2797/2790) बने थे। जिसका कुल रकबा 36.15 बीघा जो सिवायक गैर मुमकिन मंगरी के रुप में दर्ज था, उक्त भूमि हमारे पूर्वाधिकारी निम्बसिंह जी के कब्जे आधिपत्य की थी । यह कि प्रार्थी व उसके परिवार का पारिवारिक सर्जरा निम्न प्रकार है :—

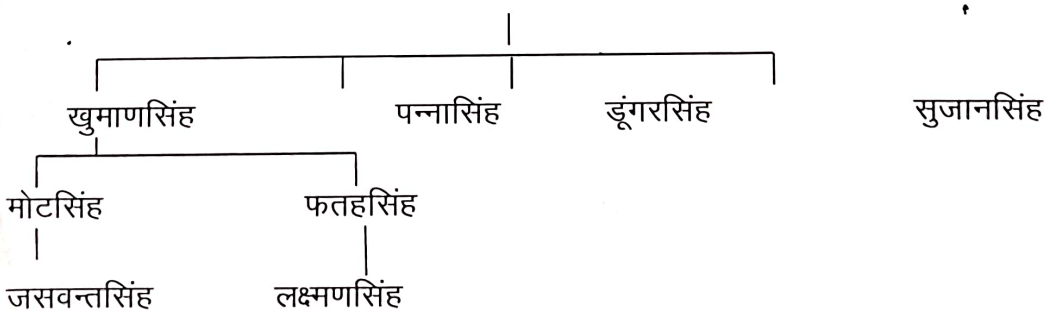

" यह कि खसरा गिरदावरी संवत् 2016, 2017, 2018, में खसरा नम्बर 1808/1, 1808/2, 1808/3, 1808/4 (सामवातेहद) का कुल रकबा 36.15 बीघा जिसमें पन्ना, डूंगा, सुजा पिता निम्बा जो कमशः पन्नासिंह, डूंगरसिंह, सुजानसिंह पिता निम्बसिंह एवं फतहसिंह पिता खुमाणसिंह के नाम पर दर्ज होकर सभी प्रकार की फसल बोने का अंकन है। पूर्व में बडे भाई का ही राजस्व दस्तावेज व अन्य दस्तावेज में सम्मान सहित बडे भाई का नाम ही दर्ज किया जाता था, इसी कम में निम्बसिंह के पुत्र खुमाणसिंह जिनके दो पुत्र फतहसिंह व मोटसिंह विधि के अनुसार खुमाणसिंह के पश्चात् वारिसान् के रुप में दोनो पुत्र फतहसिंह व मोटसिंह का नाम दर्ज होना चाहिये था। परन्तु राजस्व दस्तावेज में प्रार्थी के पूर्वाधिकारी मोटसिंह जो खुमाणसिंह जी की जायदाद में 1/2 के हकदार थे पर नाम केवल फतहसिंह जी का लिखा गया, मौके पर प्रार्थी के पूर्वाधिकारी अपने हक अधिकार वाली जमीन पर तभी से काबिज होकर निरन्तर रुप से उपयोग उपभोग करते चले आ रहे थे। इस प्रकार से खुमाणसिंह जी की हक अधिकार वाली समस्त भूमि को अपने नाम पर करवा लिया। प्रार्थी के द्वारा उक्त भूमि पर लाखो रुपये लगाकर के पक्का निर्माण करवाया गया है। प्रार्थी को व आस-पास के लोगो को यही जानकारी है कि वादग्रस्त भूमि जसवन्तसिंह की है जबकि वादग्रस्त भूमि की तरह ही प्रार्थी के दादाजी खुमाणसिंह जी व उनके बडे पिताजी फतहसिंह जी जब जमीन फतहसिंह जी के नाम पर दर्ज हुई, तभी खुमाणसिंह जी के नाम पर भी दर्ज होनी थी, परन्तु विधिक जानकारी के अभाव में व आर्थिक स्थिति कमजोर होने से प्रार्थी के पूर्वाधिकारी इन सब तथ्यों से वंचित रहा है। यह कि मूल खसरा नम्बर 1808 के नम्बर 1808/1 रकबा 36.15 बीघा खसरा नम्बर 1808/2 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 1808/3 रकबा खसरा नम्बर 1808/4 एवं खसरा नम्बर 1808/5 रकबा 15 बिस्वा जो सवंत 2012, 2013, 2014 की गिरदावरी में भी गेहूं, मिर्च, ज्वार व मक्की के फसल होना दर्ज हुआ है। इससे यह तथ्य पूरी तरह से प्रमाणित है कि वादग्रस्त जमीन पर प्रार्थी काबिज होकर लगातार उपयोग उपभोग करते आ रहा था। यह कि उक्त भूमि निम्बा उर्फ निम्बसिंह के स्वामित्व, कब्जे, आधिपत्य की थी, उनके पश्चात् उनके वारिसान खुमाणसिंह, पन्नासिंह, डूंगरसिंह व सुजानसिंह जी के नाम पर दर्ज हुई। खुमाणसिंह जी के निधन के पश्चात जमीन विरासत के आधार पर फतहसिंह व मोटसिंह के नाम पर दर्ज होनी थी, लेकिन उक्त भूमि बडे पूत्र लक्ष्मणसिंह जी के नाम पर दर्ज हुई। यह कि वादग्रस्त जमीन के मूल नम्बर 1808 थे, उसके पश्चात उनके नम्बर 1808 मीन बने, जिसके नम्बर 1808/1, 1808/2, 1803/3, 1808/4, 1808/5 व इनके नये नम्बर 1827 बने, उक्त भूमि के रकबे में से काफी जमीन खुर्द बुर्द हो गयी है शेष जमीन जिस पर प्रार्थी काबिज है जो करीबन 1 बीघा जमीन पर कब्जां आधिपत्य है, चारो तरफ उसके द्वारा बाउण्ड्रीवाल होकर पक्का निर्माण है प्रार्थी के पिता के समय से निर्विघ्न रुप से संवत 2011 से लगातार कब्जा आधिपत्य है। पूर्व में प्रार्थी के पूर्वजो के नाम पर उक्त वर्णित आराजियात थी उसके आधार पर प्रार्थी के [illegible]रों को घोषणा कराने का आदेश प्रदान करावे। साथ ही विपक्षीगण के विरुद्व इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना भी विधिक रुप से आवश्यक हो गया है, अन्यथा प्रार्थी को भारी अपूर्णनीय क्षति होने की प्रबल सम्भावना है। यह कि वादग्रस्त भूमि में कुछ हिस्से पर मकान निर्माण किया जाकर के प्रार्थी उसका उपयोग उपभोग सिविल रुप से कर रहा है, उस भूभाग पर कृषि कार्य नही होता है, बल्कि कृषि उपकरण, मवेशी, खेती, बाडी के सामान काश्त की वस्तुऐ आदि के लिये उपयोग

उपभोग किया जा रहा है। शेष जमीन जिस पर प्रार्थी काश्त कर रहा है, व लगातार काश्त हो रही है, यह कि विपक्षीगण के विरुद्व स्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक है ताकि वह अनाधिकारपूर्वक प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार से हस्तक्षेप अतिक्रमण नही करे यदि विपक्षीगण अनाधिकार पूर्वक प्रार्थी के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप अतिक्रमण करेंगे तो प्रार्थी को भारी अपुरणीय क्षति होगी एवं मुकदमें बाजी बढने की भी पुर्ण सम्भावना रहेगी। यह कि प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा सन्तुलन एवं अपूर्णनीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में है, अगर अस्थायी निषेधाज्ञा विपक्षीगण के विरुद्व जारी नही कि जाती है तो वादी/प्रार्थी को ऐसी क्षति कारित होगी, जिसकी पूर्ति अर्थ एवं नकदी में सम्भव नही होगी।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विरुद्व विपक्षीगण स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरुद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जाए कि विपक्षीगण मुल वाद के अन्तिम निस्तारण तक विपक्षीगण वादग्रस्त कृषि आराजी नम्बर 1827 रकबा 01.00 बीघा भूमि में प्रार्थी के कब्जे काश्त, उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा, रुकावट हस्तक्षेप कारित नही करे न ही प्रार्थी को किसी प्रकार से बैदखल करे। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किए गए। अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार भीम द्वारा स्थगन आदेश पर अनापत्ति ऑर्डर शीट पर लिखित में प्रदान की गई। तत्श्चात् बहस में प्रार्थी तथा अप्रार्थी द्वारा पुनः प्रार्थना पत्र के बिन्दु दोहराये गए। प्रार्थी द्वारा धारा 151 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खसरा नम्बर 1827 के स्थान पर 2797/2790 दुरस्ती का निवदेन किया जिसे स्वीकार किया गया।

हमने पत्रावली, संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। वादग्रस्त आराजी नम्बर 2797/2790 वर्तमान जमाबंदी के अनुसार राजस्थान सरकार के खाते की भूमि है तथा मात्र प्रार्थी के प्रतिकूल कब्जे से उक्त आराजी पर प्रार्थी के हक तथा स्वामित्व अधिकार सृजित नहीं होते। अतः प्रार्थना पत्र में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष का नहीं है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष का ना होने पर सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। इसलिए अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य सिद्धांतों के विपरीत है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा काबिल साबित नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भीम
जिला - राजसमन्द